दायर दिनांकः– 09.11.2022
निर्णय दिनांक :– 26.04.2023

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

(प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत लवाण)

पीठासीन अधिकारी का नाम :– मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 12/2022

प्रकरण दायर दिनांक :– 26.04.2023

आरती पत्नि रामचरण जाति खाती निवासी मकान नम्बर 96 एच कॉलोनी सुमेल रोड एरिया पार्वती नगर सिटी आगरा रोड पिन कोड 302031 जिला जयपुर।
(प्रार्थीया)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान
(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीया अनुपस्थित।
2. पैरोकार सरकार

दिनांक : 26.04.2023

:: निर्णय ::

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 4575/5254 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 4576 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 4577 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 4578 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 4581 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4584 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4585 रकबा [illegible] खसरा नम्बर 4586 रकबा 0.46 है0, कुल किता [illegible] कुल रकबा [illegible] 474 ग्राम लवाण तहसील लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

नम्बर 4584 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4585 रकबा

प्रशासन· ... संघ
... 2023

प्र.स.:– 12 / 2022
दायर दिनांकः– 09.11.2022
निर्णय दिनांक :– 26.04.2023

जिला दौसा में भूमि स्थित है। प्रार्थीया एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी है। जिस पर प्रार्थीया काबिज रह कर काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है।

2. यह कि प्रार्थीया अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करती है और प्रार्थीया अपनी भूमि की फसल सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारो ओर मिटटी की कच्ची डोली जानवरो से अपनी फसल की सुरक्षार्थ जब भी लगाती है तो पडौसी खातेदारान उसको तोड देते है जिससे प्रार्थीया की भूमि की फसल को अवारा जानवर नष्ट कर देते है जिससे प्रार्थीया को भारी नुकसान होता है। प्रार्थीया ने आस पास के खातेदारान को कई बार समझाया लेकिन वे नही मानते है और प्रार्थीया से लगातार विवाद किया जाता है।

3. यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे व प्रार्थीया व पडौसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो एवं विवाद खत्म हो सके इसलिए प्रार्थीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूति पर न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवार कर पत्थरगढी करवाना चाहती है। प्रार्थीया की उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 11.05.2022 को हो चुका है।

4. यह है कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीया का है और प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रह कर काश्त कर रही है। परन्तु अन्य पडौसी खातेदारो द्वारा बिना वजह प्रार्थीया को हैरान व परेशान किया जा रहा है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

5. यह कि वर्तमान समय सीमाज्ञान पत्थरगढी कराये जाने हेतु उचित समय है सीमाज्ञान कर पत्थगढी करने मे किसी प्रकार की बाधा अथवा अडचन भी किसी प्रकार से नही है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र को सुनवाई ... क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ... है कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 4575 / 5254 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 4576 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 4577 रकबा 0.20 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लालसोट

प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

प्र.स.:– 12 / 2022
दायर दिनांकः– 09.11.2022
निर्णय दिनांक :– 26.04.2023

खसरा नम्बर 4578 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 4581 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4584 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4585 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 4586 रकबा 0.46 है0, कुल किता–8 कुल रकबा 1.74 है0, ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा का पुलिस सहायता के सीमाज्ञान किये जाने व पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प स्थल पंचायत समिति लवाण में रखा गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ. / 2023 / 1123 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया कि भूमि ग्राम लवाण के आराजी खसरा नम्बर 4575 / 5254, खसरा नम्बर 4576, खसरा नम्बर 4577, खसरा नम्बर 4578, खसरा नम्बर 458, खसरा नम्बर 4584, खसरा नम्बर 4585, खसरा नम्बर 4586, कुल किता–8 कुल रकबा 1.74 है0, भूमि आरती पत्नि रामचरण जाति खाती निवासी मकान नम्बर 96 एच कॉलोनी सुमेल रोड एरिया पार्वती नगर जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पूर्व में दिनांक 11.05.2022 को सीमाज्ञान हो चुका है। उक्त भूमि में किसी भी न्यायालय का स्थगन दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त भूमि की पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता किया जाना उचित होगा।

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.04.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम लवाण तहसील लवाण में आराजी खसरा नम्बर 4575 / 5254, खसरा नम्बर 4576, खसरा नम्बर 4577, खसरा नम्बर 4578, खसरा नम्बर 458, खसरा नम्बर 4584, खसरा नम्बर 4585, खसरा नम्बर 4586, कुल किता–8 कुल रकबा 1.74 है0, भूमि आरती पत्नि रामचरण जाति खाती निवासी मकान नम्बर 96 एच कॉलोनी सुमेल रोड एरिया पार्वती नगर जयपुर हिस्सा पूर्ण नाम दर्ज है। [illegible] का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का लवाण के अनुसार दिनांक [illegible] को किया गया, जहॉ मौके पर पटवारी हल्का लवाण खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:– 12 / 2022
दायर दिनांक:– 09.11.2022
निर्णय दिनांक :– 26.04.2023

प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम लवाण तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–78 खाता संख्या 361 के अनुसार आरती पत्नि रामचरण हिस्सा पूर्ण जाति खाती निवासी मकान नम्बर 96 एच कॉलोनी सुमेल रोड एरिया पार्वती नगर जयपुर की आराजी खसरा नम्बर 4575 / 5254 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 4576 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 4577 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 4578 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 4581 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4584 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 4585 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 4586 रकबा 0.46 है0, कुल किता–8 कुल रकबा 1.74 है0 पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो / भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 26.04.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प पंचायत समिति लवाण पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested